प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
परती भूमि विकास विभाग,
विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यू.सी.डी.सी.)
(शामली, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर को छोडकर) उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 541 /एस.एल.डी.सी./ऑडिट–लेखा/2015–16 दिनांक– 14-8-15

विषयः– समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अभिलेखों के सी. एण्ड ए.जी. से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल से लेखा परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 तक स्वीकृत परियोजनाओं के डब्ल्यू.सी.डी.सी./पी.आई.ए./डब्ल्यू.सी. स्तर का वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 21.03.2015 तक किये गये व्ययों के लेखा अभिलेखों का ऑडिट कराये जाने के लिए भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से अनुमोदित निम्न 04 चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मो का पैनल निर्धारित किया जाता है जो 30 अगस्त,2015 तक प्रत्येक दशा में उनको आवंटित जनपदों के डब्ल्यू.सी.डी.सी./पी.आई.ए./डब्ल्यू.सी. का ऑडिट कराकर अपनी संकलित ऑडिट रिपोर्ट स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को प्रेषित करेंगे।

क्र.	फर्म का नाम	फोन नम्बर	ई–मेल पता/वेबसाइट	अंकेक्षण हेतु निर्धारित जनपद
1	हबीबुल्लांह एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट फ्लैट नं0 1, डालीबाग अपार्टमेंन्ट, बटलर रोड, डालीबाग लखनऊ।	0522–3014582 9415020529	kklalchandani@yahoo.com	1. बरेली 2. बदायूं 3. रामपुर 4. शाहजहांपुर 5. मुरादाबाद 6. फतेहपुर 7. संतकबीरनगर 8. बहराइच 9. श्रावस्ती 10. संतरविदास नगर 11. जौनपुर 12. वाराणसी 13. गाजीपुर 14. चन्दौली 15. कौशाम्बी
2	अग्रवाल एण्ड सक्सेना, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 224–ए, सहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ।	0522–4072308 9838506093	agasax@gmail.com , boagasax@gmail.com	1. फर्रूखाबाद 2. इटावा 3. मैनपुरी 4. कानपुर नगर 5. कानपुर देहात 6. जे0पी0नगर (अमरोहा) 7. हापुड(पंचशीलनगर) 8. मुजफ्फरनगर 9. बागपत 10.मेरठ 11.सम्भल (भीमनगर) 12.बुलन्दशहर 13. हाथरस 14. झांसी 15. महोबा

3	मेसर्स अनुप अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट,14–साकेत नगर, लच्छीपुर, पीओ गोरखनाथ, गोरखपुर।	0551–2260693 9235508900	caanoopajrawal@gmail.com	1. पीलीभीत 2. लखीमपुरखीरी 3. सिद्धार्थनगर 4. बस्ती 5. अम्बेडकरनगर 6. मऊ 7. बलिया 8. आजमगढ 9. देवरिया 10. कुशीनगर 11. महराजगंज 12. सुल्तानपुर 13. प्रतापगढ 14. इलाहाबाद 15. अमेठी 16. गोरखपुर
4	मेसर्स अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, बी–35, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–ई, अलीगंज, लखनऊ।	0522–4101291 9335915031	mittal.vinay.kumar@yahoo.com abamail1987@gmail.com	1. लखनऊ 2. हरदोई 3. उन्नाव 4. रायबरेली 5. सीतापुर 6. गोण्डा 7. बलरामपुर 8. बाराबंकी 9. फैजाबाद 10. मिर्जापुर 11. सोनभद्र 12. आगरा 13. मथुरा 14. फिरोजाबाद 15. अलीगढ 16. एटा 17. औरैया 18. कन्नौज 19. बिजनौर 20. सहारनपुर 21. ललितपुर 22. जालौन 23. हमीरपुर 24. चित्रकूट 25. बांदा

वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 मे स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष 2014–15 का ऑडिट करते समय निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम का परियोजनावार ऑडिट कराया जायेगा।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर/पी.आई.ए./डब्ल्यू.सी. का सम्प्रेक्षण करते समय अलग–अलग सम्प्रेक्षण रिपोर्ट डब्ल्यू.सी.डी.सी. को प्रेषित की जायेगी।
3. वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी, परियोजना कार्यदायी संस्था एवं वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के वास्तविक व्ययों की ही सम्प्रेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये अग्रिम के रूप में व्यय की धनराशि को वास्तविक व्यय में सम्मिलित न किया जाये।
4. प्रत्येक स्तर पर संचालित परियोजना फण्ड खातों पर प्राप्त ब्याज का उल्लेख सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में अलग–अलग किया जाय।
5. उपयोगित प्रमाण–पत्र एवं सम्प्रेक्षण रिपोर्ट वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं सम्प्रेक्षण रिपोर्ट एक दूसरे के समरूप होने चाहिए।
6. भारत सरकार द्वारा निर्गत कामन गाइड लाइन 2008 एवं 2011 के प्रविधानों एवं भारत सरकार एवं स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी द्वारा निर्गत निर्देशों के विचलन के सन्दर्भ में वाटरशेड प्रबन्धन कमेटी, पी.आई.ए. एवं वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के माध्यम से स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित की जायें।

7. सम्प्रेक्षण रिपोर्ट में मदवार व्यय विवरण (प्रशासनिक व्यय, ई.पी.ए., सी.बी., डी.पी.आर., वाटरशेड व्यय, लिवलीहुड, प्रशिक्षण पर व्यय, प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रोइन्टरप्राइजेज आदि), बैलेंशशीट आय–व्यय का विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान का विववरण, बैंक समाधानीकरण तैयार किया जायेगा।
8. आडिट रिपोर्ट चार प्रतियों में डब्ल्यू.सी.डी.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट से वार्षिक ऑडिट करायें जाने की फीस निम्नवत् निर्धारित है।

(अ) डब्ल्यू.सी. का ऑडिट करने हेतु रू0 750.00 प्रति डब्ल्यू.सी. (वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान डब्ल्यू.सी. में ब्याज की अतिरिक्त कोई लेन देन न होने की स्थिति में सी.ए. द्वारा उनकी बैलेंश शीट एवं बैंक समाधान विवरण आदि प्रस्तुत करना होगा, परन्तु विभाग द्वारा ब्याज के अतिरिक्त कोई लेने देने न करने वाली डब्ल्यू.सी. की कोई फीस सी.ए. को देय नही होगी।)

(ब) पी.आई.ए. के ऑडिट हेतु रू0 3000.00 प्रति परियोजना

(स) डब्ल्यू.सी.डी.सी. का ऑडिट करने हेतु रू0 2000.00 डब्ल्यू.सी.डी.सी. (प्रति जनपद)

भवदीय,

(आन्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक 541 /एस.एल.डी.सी./ऑडिट–लेखा/2015–16 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पैनल में सम्मिलित चार्टड एकाउन्टेंट को सूचनार्थ।
2. कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वित्तीय सलाहकार शारदा/रामगंगा सहायक समादेश।
4. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओं काम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एंव परती भूमि विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. परियोजना प्रबन्धक/भूमि संरक्षण अधिकारी/उप निदेशक को इस निर्देश से कि संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए ऑडिट करवायें तथा सन्तोषजनक ऑडिट के पश्चात् शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
7. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एंव जल प्रबन्धन परियोजना, 23–सी, गोखलेमार्ग लखनऊ।
8. अध्यक्ष एंव प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
9. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी., विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी